न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 958–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 06–03–12 पारित अपर कलेक्टर जिला रीवा प्रकरण कमांक 90/अ–74/11–12.

1– रामानुज पटेल तनय स्व. यज्ञनारायण पटेल
2– रामप्रसाद पिता राजाराम पटेल
3– इन्द्रजीत पिता रामकिंकर पटेल
तीनों निवासी ग्राम कांटी, तह0 मनगंवा,
जिला रीवा, म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूध्द

1– रामबहोर पटेल तनय सुग्रीव प्रसाद पटेल
2– गिरिजा प्रसाद पटेल तनय सुग्रीव प्रसाद पटेल
3– रामकृष्ण पटेल तनय सुग्रीव प्रसाद पटेल
तीनों निवासी ग्राम कांटी, तह0 मनगंवा,
जिला रीवा, म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 25.8. ,2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 90/अ–74/11–12 में पारित आदेश दिनांक 06–03–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण व्दारा संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत नक्शा सुधार का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। अपर कलेक्टर ने ग्राह्यता पर आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क दिनांक 24–02–12 को सुने और प्रकरण विचारार्थ दिनांक 6–3–12 को नियत किया। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 6–3–12 व्दारा आवेदनपत्र के साथ किसी भी प्रकार के दस्तावेज या नया, पुराना नक्शा की नकल पेश नहीं करने से आवेदनपत्र मूलतः तहसीलदार, मनगंवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक ने लिखित बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक व्दारा निगरानी आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज रीडर व्दारा निकाल लिये गये जिसकी शिकायत भी आयुक्त के समक्ष की गयी। उनका तर्क है कि 29–8–12 को प्रकरण तहसीलदार से मॅगाया जाकर कार्यवाही में लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय व्दारा विधि विपरीत कार्यवाही की जा रही है। उनका तर्क है कि अनावेदकगण व्दारा शासन को पक्षकार बनाकर अपर कलेक्टर, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है जिसमें आवेदकगण हितबध्द पक्षकार हैं, किन्तु उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में वर्णित भूमियॉ आवेदकगण एवं अनावेदकगण के स्वयं हिस्सा विभाजन की भूमियॉ हैं जिसमें बटांक अंकित है, इसलिये दोनों प्रकरणों का निराकरण एक–साथ करने के आदेश अपर कलेक्टर को दिये जाये। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण का प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने का आवेदन आयुक्त व्दारा खारिज किया जा चुका है। अपर कलेक्टर व्दारा प्रकरण में विधि एवं प्रकिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। निगरानी में हस्तक्षेप करने का समुचित आधार नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अपर कलेक्टर की आदेश पत्रिकाओं से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने प्रकरण तहसीलदार, मनगंवा से वापिस प्राप्त कर प्रकरण में दिनांक 10–7–12 को कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है और इस तथ्य को स्वयं आवेदकगण व्दारा लिखित बहस में स्वीकार किया है। ऐसी दशा में अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 06–03–12, जिसके व्दारा अपर कलेक्टर व्दारा प्रकरण मूलतः तहसीलदार, मनगंवा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था, का वर्तमान में कोई अस्तित्व शेष नहीं है । यदि अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत प्रकरण अपर कलेक्टर के समक्ष लम्बित है और आवेदकगण उसमें हितबध्द पक्षकार हैं तो आवेदकगण व्दारा पक्षकार बनने हेतु विधिवत आवेदनपत्र अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदकगण दोनों प्रकरणों की एक–साथ सुनवायी चाहते हैं तो इस संबंध में भी अपर कलेक्टर से अनुरोध किया जा सकता है। आवेदकगण व्दारा अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 90/अ–74/11–12 में पारित आदेश दिनांक 06–03–12 के विरूध्द निगरानी प्रस्तुत की गयी, इसलिये उक्त तर्कों के आधार पर निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0